तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09.05.2018	राजस्व वाद संख्याः 21/2014 दायर दिनाँकः 05.02.2014 अनुवान्ः उदीदेवी बनाम् पुरणराम, वगैरा। —ः निर्णय ::— न्याय आपके द्वार,2018ः राजस्व कोर्ट कैम्प–बाँसा में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को समझाईश की गयी। लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं कि, शरहद पीपलाँ का बास में खसरा नम्बर 440 रकबा 106.18 बीघा के 1/3 हिस्से में वादीनी अपने पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 के साथ खातेदारी चाहती है, जिस पर पक्षकारान् सहमत हैं। वाद का किसी पक्षकार ने खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, शरहद पीपलाँ का बास में खसरा नम्बर 440 रकबा 106.18 बीघा के 1/3 हिस्से में वर्तमान खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 के साथ, वादीनी को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है। अतः, वाद वादीनी, बाद विवेचना, डिक्री सादिर किया जाता है। —:: आदेश ::— हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **पीपलाँ का बास** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 106.18 बीघा के हिस्सा 1/3 भाग में वर्तमान दर्ज खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प–बाँसा निर्णय, आज दिनाँक 09.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प–बाँसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 21/2014 दायर दिनाँक 05.02.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. उदीदेवी पत्नी स्वर्गीय रूघाराम, उम्र—80साल, जाति—जाट, निवासी—निम्बा का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. पुरणराम पुत्र गंगाराम, 2. पेमाराम पुत्र गंगाराम, 3. सुखी पत्नी गंगाराम, 4. पन्नाराम पुत्र रूघाराम, 5. धन्नाराम पुत्र रूघाराम, 6. गोमाराम पुत्र रूघाराम, 7. दानाराम पुत्र रामूराम, 8. हरदेवाराम पुत्र रामूराम, 9. किशनारा पुत्र रामूराम, 10. सुरजमल पुत्र रामूराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—निम्बा का बास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. मैनेजर, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. मैनेजर, ज.थार ग्रा.बैंक, शाखा—लादड़िया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. मैनेजर, नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा—निमोद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 14. मैनेजर, एस.बी.आई.बैंक, शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 15. उपतहसीलदार मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी,
अन्तर्गत धारा— 88, R.T.Act.

दिनाँक 09.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् उपस्थित ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

पीपलाँ का बास में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 106.18 बीघा के हिस्सा 1/3 भाग में वर्तमान दर्ज खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बाँसा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बाँसा

Scanned by CamScanner